# निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

बइजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः— 66/2016

दिनांकः—5/6/17

अनुवान

1— रामलाल पिता नानूराम जी जाति कुमावत निवासी गोमाना तह0 छोटीसादडी —— वादी

:: बनाम ::

1— भंवरलाल पिता नारायण जी जाति कुमावत निवासी गोमाना तह0 छोटीसादडी

2— राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी राज0 ——प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0टी0एक्ट

## :: निर्णय ::

1—— यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी मौजा गोमाना प0ह0 गोमाना तह0 छोटीसादडी में स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 665 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आ0नं0 685/2136 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आ0नं0 668 रकबा 0.68 हैक्टैयर, आ0नं0 418 रकबा 0.10 हैक्टेयर स्थित हैं।

2—— यह कि प्रार्थी की आराजी क्रमांक 665 तथा 665/2136 पर प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने उक्त दोनों की आराजीयों पर पिछले 50 साल से अधिक समय से विपक्षी की आराजी नम्बर 669 रकबा 0.75 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा की ओर बनी तीन मीटर चौडी मेड पर होते हुये आते जाते रहे हैं तथा अपने बैल ट्रैक्टर आदि उक्त मेड पर ले जाते हुये रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते रहे हैं।

3—— यह कि प्रार्थी की आराजीयात क्रमांक 665, 665/2136 पर पहूंचने के लिऐ विपक्षी की आराजी के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित रास्ते के अलावा और कोई रास्ता रिकार्डेड मौजूद नहीं हैं यदि रास्ता कायम नहीं किया गया तो प्रार्थी अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगा। कि विपक्षी ने जानबुझकर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया व प्रार्थी से कहा कि मेरी आराजी के पश्चिम दिशा की ओर भविष्य में आना जाना बन्द कर देना इस कारण विपक्षी की आराजी क्रमांक 669 मौजा गोमाना के पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी के अपनी आराजीयात पर पहूंचने के लिये रिकार्डैड तीन मीटर चौडा राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। विपक्षी ने दिनांक 25—01—2017 को जवाब पेश किया जिसमें विपक्षी ने उसकी आराजी पर प्रार्थी का आना जाना स्वीकार नहीं किया और वहॉ किसी प्रकार कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं हैं। वहॉ पर जहॉ प्रार्थी रास्ता होना बताता हैं वहॉ पर विपक्षी की खातेदारी की आराजी होकर वहॉ पर प्रार्थी की फसल बोई हुई हैं और किसी प्रकार विपक्षी की आराजी में प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिऐ कोई गाडी गडार या रास्ते के निशानात नहीं हैं तथा प्रार्थी की आराजी नं0 665 व 665/2136 पर आने जाने के लिऐ विपक्षी के आराजी नं0 669 पर होकर आने जाने का कोई रास्ता न तो पहले था और न ही आज हैं। तथा प्रार्थी ...

वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादडी को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीदार छोटीसादडी की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें पटवारी हल्का गोमाना ने अंकित किया कि आ0नं0 665, 665/2136 जो प्रार्थी रामलाल पिता नाना कुमावत के खातेदारी में ग्राम गोमाना में दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थी को उक्त आराजी पर आने जाने के लिए एक रास्ता आ0नं0 669 की पश्चिमी मेड पर पूर्व में भी था लेकिन आ0नं0 669 के खातेदार भंवरलाल ने वर्तमान में उक्त रास्ते में प्रार्थी को न आने जाने देते हैं और न ही फसल आदि ट्रेक्टर से ले जाने देते हैं। उक्त दोनों खातेदार रिश्ते में भाई बन्धू होकर एक परिवार से तालुकात रखते हैं तथा इनकी पैतृक सम्पत्ति होकर उक्त रास्ते पर प्रार्थी पूर्व में भी आते जाते रहे है दो वर्ष से ही इस रास्ते पर प्रार्थी का आवागमन बाधित हैं तथा उक्त रास्ते में मक्का बो रखा हैं इसमें दो ढाक के पेड भी स्थित हैं मौके पर उक्त रास्ते की लम्बाई 51 मीटर व चौडाई 4 मीटर बनती हैं जिसका रकबा 0.02 हैक्टेयर हैं। मौके पर उपस्थित मौतबीरांन ने बताया कि उक्त प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते से आगे का रास्ता खुला हुआ होकर बाधित नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 204 वर्ग मीटर हैं। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी दर 20400 रूपये प्रति एअर हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट वास्ते कायमी रास्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साक्ष्य एवं पटवार हल्का कि रिपोर्ट से यह जाहिर होता हैं कि पूर्व में विपक्षी की आराजी की मेड पर रास्ता था तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता पटवारी हल्का द्वारा नहीं दर्शाया हैं यदि प्रार्थी को रास्ते की भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई तो उसकी खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा जिससे उसे भारी आर्थिक व मानसिंक क्षति होना भी संभावित हैं उक्त तथ्यों को मद्धेनजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत हैं।

## आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध मौजा गोमाना प0ह0 गोमाना तह0 छोटीसादडी के आराजी 665, 665/2136 पर आने जाने हेतु पूर्वतः चालू रास्ते को विपक्षी के खातेदारी भूमि आराजी नं0 669 में से 51 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडाई में उक्त आराजी के पश्चिमी दिशा की ओर मेड से लगता हुआ रास्ता कायम किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी से डी0एल0सी की राशि जो कि 40800 रूपये बनती हैं वसूल की जाकर जरिये चालान जमा करा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। तहसीलदार मौके पर जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 6/7/17 तक पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5-6-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ